

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(239)वित्त-1(1)आ.व्यय/2011/

जयपुर, दिनांक 22.02.2013

संबंधित कोषाधिकारी,  
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 745 /2012-13)

विषय:- राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ 165(6)ले.व. /परावि/एस.एफ.सी.-चतुर्थ/2012-13/1050 दिनांक 22.02.2013 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 7793.50 लाख (अक्षरे रु. सत्तर करोड़ तेरानवें लाख पचास हजार) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित कर दी जावे ।

-: व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 -जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(04)-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता

मांग सं. 41 [02]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)	मांग सं. 30 [03]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)	मांग सं. 51 [04]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)	योग (राशि लाखों में )
1096.11	194.81	267.38	1558.30

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम


197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(05)-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान

मांग सं. 41 [02]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)	मांग सं. 30 [03]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)	मांग सं. 51 [04]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)(आयोजना)	योग (राशि लाखों में )
4385.84	779.52	1069.84	6235.20
		<b>कुल योग</b>	<b>7793.50</b>


इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद / पंचायतों समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय  
  
26.02.13  
(सुधीर शर्मा)  
संयुक्त सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. विशेषाधिकारी (आर्थिक मामलात) वित्त विभाग।
5. संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग राज विभाग, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, /अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
8. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
9. एसीपी, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



(सुधीर शर्मा)

संयुक्त सचिव वित्त (बजट)